

उत्तर प्रदेश शासन

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1

संख्या-44 /2018/ 2858 /सत्ताईस-1-2018-3(1)/18टी0सी0

लखनऊ: दिनांक: 28 जून, 2018

कार्यालय-आदेश

एतदद्वारा जनहित/कार्यहित में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग (सिविल संवर्ग) के श्री आलोक प्रताप सिंह, अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड-4, बलरामपुर को तात्कालिक प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक उनके वर्तमान पद के साथ अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, बलरामपुर के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जाता है।

2- उक्त अतिरिक्त कार्यभार हेतु श्री आलोक प्रताप सिंह को पृथक से कोई वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

अनीता वर्मा सिंह
विशेष सचिव।

संख्या: 44 /2018/ 2858 (1)/सत्ताईस-1-2017- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।
2. प्रमुख अभियन्ता (परि० एवं नियो०)/प्रमुख अभियन्ता, परियोजना, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।
3. मुख्य अभियन्ता, कार्मिक(अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ
4. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को द्वारा मुख्य अभियन्ता, कार्मिक(अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी, द्वारा मुख्य अभियन्ता, कार्मिक(अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
7. सम्बन्धित अभियन्ता को द्वारा मुख्य अभियन्ता, कार्मिक(अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ।
8. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
✓
(ओ०पी० सिंह)
अनु सचिव।

अनीता वर्मा सिंह
29/6/18
29/6/18

मुख्य अभियन्ता (परि० एवं नियो०)
29.6.18

PTO